

अनुमति की शर्तें ।

- (1) जल भवन/पुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिक सिद्ध नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी बाधोपूर्ति को सिध्द करवायेगा ।
- (3) सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वाक खिडली केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 624 दिनांक 13/07/2020

माथी ब्रजाम न्यूनर अटलड डाक डी रामलाल अटलड

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 क्वार्टर संख्या 143 क्षेत्र ई

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय कामला मेडरन क्वार्टर प्रथम फ्लोर

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8000/- प्रमा

जारीये रसीद संख्या 1931/2535, 2536

दिनांक 13/07/2020 को जमा करा दो है ।

13/07/2020

सहायक नगर निर्माणक
नगर निगम, जोधपुर

Sanwaha
13/7/20

9413247650